न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी - मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2024/204

दौलत राम आत्मज स्व० रामचन्द्र जी जाति अहीर निवासी अलोद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)

– अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल आत्मज स्व० रामचन्द्र जी जाति अहीर
   1/1 मोहनी बाई पत्नि देवीलाल जाति अहीर निवासी अलोद तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
2. राधेश्याम आत्मज रामचन्द्र जी जाति अहीर निवारी अलोद तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
3. हरिराम आत्मज कारू जी जाति अहीर निवासी–अरलाई तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
4. कारू जी आत्मज उदा जी जाति अहीर (मृतक) जरिये कायम मुकाम
   4/1 हरिराम आत्मज आत्मज स्व. कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम अरलाई तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
   4/2 ललिता बाई पुत्री स्व. कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
   4/3 कौशल्या पुत्री स्व. कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
   4/4 सन्तराज पुत्री स्व० कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम दौलाई तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
5. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व० रामचन्द्र जी पत्नि प्रभुलाल जी जाति अहीर निवासी–बोरीना तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
6. श्रीमती धापू पुत्री स्व० रामचन्द्र जी पत्नि दौलतराम जी जाति अहीर निवासी ग्राम रीछी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
7. राम किशन आत्मज देवलाल जी जाति अहीर निवासी–तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

अपील संख्या 2024/204

दौलतराम बनाम देवीलाल

उपस्थित वक्त बहस–

1. श्री जितेन्द्र नामा, अभिभाषक अपीलांट की ओर से ।
2. श्री प्रद्युम्न शर्मा, अभिभाषक रेस्पो0 1/1 से 3, 5 व 6 की ओर से ।

दिनांक 28.03.2025

निर्णय

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 21/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि माल ग्राम तेलियाखेडी, उप तहसील–चेचट, तहसील– रामगंजमण्डी जिला कोटा मे निम्न विवरण की आराजीयात स्थित है :– खाता संख्या नया 127, पुराना 125 की खसरा नम्बर 13 की रकबा 1.7900, खसरा नम्बर 15 रकबा 2.3800 हैक्टयर, खसरा नम्बर 39 रकबा 0.9200 हैक्टयर, खसरा नम्बर 396 रकबा 0. 0300 हैक्टयर, खसरा नम्बर 399 रकबा 1.5100 हैक्टयर, खसरा नम्बर 401 रकबा 0.4900 हैक्टयर, खसरा नम्बर 403 रकबा 0.8700 हैक्टयर, कुल किता 7 की कुल रकबा 7.9900 हैक्टयर। नकल जमाबन्दी साथ सलग्न है। उपरोक्त आराजीयात वादी की पुश्तैनी खाते की आराजी है वादी के पिता रामचन्द्र जी का देहान्त हुए लगभग 28 वर्ष हो चुके तथा माता का देहान्त हुए लगभग 25–26 वर्ष हो चुके है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात जो जानकारी के आधार पर माताजी नटी बाई को उनके पीहर अर्थात् उनके माता पिता द्वारा विरासतन प्राप्त होने की जानकारी मिली है। चूंकि माता पिता साथ साथ रहते थे इसलिये उपरोक्त आराजी पर पिताजी व मॉ का ही कब्जा व अधिकार था। चूँकि वादी का बड़ा भाई प्रतिवादी कम 1 देवीलाल बड़ा था, इसलिये इस खाते की भूमि के सम्बन्ध में माताजी के सामने व माताजी के मरने के बाद जो मुकदमा चल रहा था उसमे प्रतिवादी कम 1 अदालत की कार्यवाही मे आता जाता रहा। माताजी के मरने के बाद वह मुकदमा निपटने के बाद भी माताजी की उक्त कृषि भूमि पर वादी ग्राम तेलियाखेडी मे आता जाता रहा। प्रतिवादी कम 1 बडा होने के नाते इस भूमि पर काश्त प्रतिवादी कम 1 ही कराता रहा है तथा वादी को उसका हिस्सा 1/12 के अनुसार मुनाफा राशि देता रहा। इसलिये वादी को रिकार्ड को देखने की कोई आवश्यकता नही हुई। वादी ने उपरोक्त खाता संख्या 127 ग्राम तेलियाखेडी उप तहसील चेचट के रेवन्यू रिकार्ड की नकल दिनांक–9.03.2018 को प्राप्त की तो पता चला कि उक्त आराजीयात के खाते मे देवीलाल प्रतिवादी क्रम 1 तथा राधेश्याम प्रतिवादी कम 2 का नाम 1/4, 1/4 खाते मे दर्ज है जबकि माता नटी बाई व पिता रामचन्द्र जी के देवीलाल व राधेश्याम के अलावा अन्य औलाद भी है। प्रकार है :–

अपील संख्या 2024/204
दौलतराम बनाम देवीलाल

वादपत्र में सजरा परिवार अंकित किया जिसके अनुसार वादी के भाई देवीलाल प्रतिवादी कम 1, वादी स्वंय, प्रतिवादी कम 2 राधेश्याम, तीन भाई है तथा तीन बहिने है। जिसमे श्रृगांर बाई की मृत्यु हो चुकी है जिनके कायम मुकामान् प्रतिवादी कम 3 उनका पुत्र व प्रतिवादी कम 4 उनके पति है इसके अलावा एक बहिन शान्ति बाई प्रतिवादी कम 5 व तीसरी बहिन धापू बाई प्रतिवादी कम 6 है। उपरोक्तानुसार वादी का उपरोक्त आराजीयात मे 1/12 हिस्सा विरासतन बनता है किन्तु प्रतिवादी कम 1 व 2 ने रेवन्यू कर्मचारियो से मिलकर वादी व अन्य प्रतिवादीगण को छुपाकर रिकार्ड मे माताजी के स्थान पर प्रतिवादी कम 1 व 2 का नाम दर्ज करवा लिया है। माता पिता की मृत्यु के बाद उक्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण को हक विरासत के आधार पर प्राप्त हुई है। जो कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत अवैध है। वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात के अतिरिक्त पक्षकारान् के पिता के नाम की आराजीयात ग्राम अलोद मे खाता संख्या 129 मे खसरा नम्बर 149,244,264,272 487 में कुल आराजीयात 5.5800 हैक्टयर स्थित है। इस खाते मे प्रतिवादी कम–1, वादी धापू बाई प्रतिवादी कम 6 राधेश्याम प्रतिवादी कम 2, श्रृंगार बाई जिनके कायम मुकामान प्रतिवादी कम 3 व 4, व शान्ति बाई प्रतिवादी कम 5 के खाते मे 1/12.1/12 आराजीयात स्थित है। नकल जमाबन्दी साथ सलग्न है। इस प्रकार वादी के पिता रामचन्द्र व माता नटी बाई के वादी व प्रतिवादीगण पुत्र व पुत्रियों है जिसका हवाला ग्राम अलोद की जमाबन्दी मे दर्ज है। जो निंविवाद है जिसके बावजूद भी प्रतिवादी कम 1 व 2 ने रेवन्यू विभाग के कर्मचारियो से मिलकर वाद पत्र की मद नम्बर 1 मे वर्णित आराजीयात मे 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज करवा लिया है जो कि रेवन्यू विधि व हिन्दू उत्तराधिकार व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध है। प्रतिवादी कम 1 व 2 जिनका नाम उपरोक्त आराजीयात मे 1/4, 1/4 दर्ज है जो उपरोक्त आराजीयात को किसी अन्य व्यक्तियो को बेचान करने पर आमादा है तथा किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द करने की तैयारी में है यदि प्रतिवादी कम 1 व 2 उपरोक्त कृत्य मे सफल हो गये और बेचान की रजिस्ट्री करवायी तो वादी को अन्य कई मुकदमे बाजी में फसेंना पड जावेगा। अभी गाँव मे एक सप्ताह पूर्व वादी को जानकारी हुई कि प्रतिवादी कम 1 व 2 उपरोक्त आराजीयात को बेचान करने पर तत्पर है और गाँव मे इस प्रकार की शौहरत फैला रहे है कि प्रतिवादी कम 1 व 2 इस आराजीयात को बेच रहे है। दिनांक–9.03.2018 को नकल लेने पर जानकारी हुई कि वादी व बहिनो का नाम उक्त आराजीयात मे नही है। इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 उक्त आराजीयात को बेचान करने पर आमादा है। उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये यह आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा, बँटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्रसारित करावे कि वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का 1/12 हिस्से में नाम दर्ज करावे व अन्य प्रतिवादीगण का भी इसी अनुरूप 1/12, 1/12 हिस्सा दर्ज करावे तथा जमाबन्दी 2072–75 में प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/4. 1/4 दर्ज है उसे हटाया जाकर 1/12, 1/12 दर्ज किया जावे व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे पृथक पृथक नाम दर्ज

किया जावे व उपरोक्तानुसार मौके पर दखल दिलाया जावे तथा साथ ही प्रतिवादी कम 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वे उपरोक्त आराजीयात का बेचान किसी अन्य व्यक्ति के नाम ना करे और ना ही किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करे। वादी का प्रथम दृष्टया वाद है तथा सुविधाओ का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में है। यदि प्रतिवादी कम 1 व 2 उक्त आराजीयात को किसी भी प्रकार से खुर्द बुर्द या हस्तान्तरित कर देते है तो वादी को अपरिमिति क्षति होगी। जिसकी पूर्ति वादी को किसी भी रूप मे सम्भव नही हो सकेगी। वाद कारण गाँव मे एक सप्ताह पूर्व प्रतिवादी कम 1 व 2 द्वारा गाँव मे उक्त आराजीयात के बेचान की शौहरत फैलाने एवं इस पर वादी द्वारा दिनांक–9.03.2018 को राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर यह जानकारी होने पर कि वादी व बहिनो का नाम उक्त आराजीयात मे नहीं है तथा इसका नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी कम 1 व 2 उक्त आराजीयात को बेचान करने की धमकी देने पर अन्तिम रूप से उत्पन्न हुआ है। स्टेट आफ राजस्थान भूमि धारक होने से फोरमल पक्षकार बनाया गया है। वाद का मूल्यांकन 30 लाख रूपये किया जाकर वाद पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। विवादित भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे होने से इस वाद पत्र के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी कम 1 व 2 के विरूद्ध इस आशय की घोषणा, बैंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी प्रदान की जावे – वादग्रस्त आराजीयात मे वादी का 1/12 हिस्से में नाम दर्ज करावे व अन्य प्रतिवादीगण का भी इसी अनुरूप 1/12, 1/12 हिस्सा दर्ज करावे तथा जमाबन्दी 2072–75 में प्रतिवादी कम 1 व 2 का हिस्सा 1/4, 1/4 दर्ज है उसे हटाया जाकर 1/12, 1/12 दर्ज किया जावे व इसी अनुरूप राजस्व रिकार्ड मे पृथक पृथक नाम दर्ज किया जावे व उपरोक्तानुसार मौके पर दखल दिलाया जावे तथा साथ ही प्रतिवादी कम 1 व 2 को पाबन्द किया जावे कि वे उपरोक्त आराजीयात का बेचान किसी अन्य व्यक्ति के नाम ना करे और ना ही किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करे। वाद का समस्त हर्जा खर्चा प्रतिवादीगण से वादी को दिलाया जावे तथा अन्य कोई न्यायोचित सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जाये ।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिकी दिनांक 01.08.2024 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र स्वीकार किए जाने की निर्णय व डिकी पारित की ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.08.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिकी दिनांक 01.08.2024 को निरस्त फरमाया जावे ।

अपील संख्या 2024/204

दौलतराम बनाम देवीलाल

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा हक घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती, व स्थायी निषेधाज्ञा खारिज फरमाने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाया कि ग्राम तेलिया खेडी उप तहसील चेचट तहसील रामगंजमंडी जिला कोटा में 7 किता की 7.99 हेक्टर कृषि आराजियात स्थित चली आ रही है। उक्त भूमि अपीलान्ट की पुश्तैनी आराजी है जो अपीलान्ट की माता श्रीमती नट्टी बाई के शामलाती खाते एवं कब्जे में दर्ज चली आ रही है। जिसमें वादी की माता का 1/2 हिस्सा निहित है। अपीलान्ट की माता नटटी बाई व पिता रामचन्द्र के तीन पुत्र व तीन पुत्रियां वारिस है किन्तु रेस्पो० नं० 1 व 2 ने राजस्व कर्मचारियों से मिल कर उक्त भूमि को माता की मृत्यु के बाद अपने नाम 1/4, 1/4 हिस्से से दर्ज करवा लिया। जो गलत है। जब कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत 1/2 हिस्से में सभी छः वारिसान के नाम 1/12, 1/12 हिस्से से दर्ज होना चाहिये था। क्योंकि माता नटटी बाई के अपीलान्ट, प्रतिवादी नं0 1 व 2 व पुत्री शांति बाई, धापू व मृतक पुत्री श्रृंगार बाई के वारिस हरिराम व कारू जी उत्तराधिकारी है। अपीलान्ट की माता श्रीमती नटटी बाई के 1/2 हिस्से में 1/12 हिस्से की भूमि प्राप्त करने का एंव अपने खाते दर्ज करवाने का एक मात्र अधिकारी अपीलान्ट है। तथा उक्त भूमि में हिस्सा निहित है इस कारण अधीनस्थ न्यायालय को वादी अपीलान्ट का दावा डिक्री करना चाहिये था। डिक्री जारी न कर दावा वादी अपीलान्ट खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि नटटी बाई ने अपने जीवनकाल में कोई वसीयत अथवा अन्य कोई दस्तावेज आलेखित नहीं की। इस कारण अपीलान्ट रामचन्द्र व नटटी बाई का पुत्र होने के कारण 1/2 हिस्से में 1/6 हिस्सा यानी 1/12 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है इसके बावजूद भी दावा वादी डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट वादी ने यह प्रमाणित कर दिया था कि विवादित भूमि वादी की पुश्तैनी भूमि है तथा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में विवादित भूमि को वादी व प्रतिवादी की शामलाती पैतृक भूमि होना स्वीकार किया था इस कारण तनकी नम्बर 2 व 3 का निर्णय वादी के पक्ष में निर्णित करना चाहिये था किन्तु इसके बावजूद भी तनकी नम्बर 2 व 3 वादी के विरुद्ध

अपील संख्या 2024/204
दौलतराम बनाम देवीलाल

तय करने में विधिक भूल की है। वादी ने अपने वाद में वादग्रस्त भूमि में वादी व प्रतिवादी नं0 1 ता 4 व 5–6 का 1/12, 1/12 हिस्सा होने व इसी अनुसार खातेदार घोषित किये जाने की प्रार्थना की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि विवादित भूमि पैत्रिक भूमि माना है इसके बावजूद भी किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा नहीं होना मानकर दावा खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नम्बर 4–5–6–7 का निर्णय प्रतिवादीगण के विरूद्ध तय करने व तनकी नं0 1 वादी अपीलान्ट के पक्ष में तय करने के बावजूद भी दावा वादी डिक्री न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अन्य ग्राम अलोद की खाता सं० 129 की 5 किता की 5–58 हेक्टर भूमि की जमाबन्दी पेश की है। जिसमें वादी के पिता रामचन्द्र के 1/2 हिस्से में सभी वारिसान वादी व प्रतिवादीगण का नाम अंकित है जिसमें भी वादी का 1/12 हिस्सा दर्ज है। इस प्रकार वाद वर्णित आराजियात में भी 1/12 हिस्सा वादी का बनता है ओर वादी 1/12 हिस्से की भूमि प्राप्त करने का अधिकारी है इस अहम तथ्य की ओर ध्यान दिये बिना ही सरसरी तोर पर वादी का वाद खारिज करने में त्रुटि की है। तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में तथा तनकी नम्बर 4–5–6–7 प्रतिवादी के विरूद्ध तय करने के बावजूद भी प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में खोले गये नामान्तरकरण को सही मानने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट के पिता के बडे भाई धनसुख लाओलाद फोत हुये थे । धनसुख द्वारा एक वसीयत दिनांक 17–3–21 को अपीलान्ट के पक्ष में निष्पादित की थी तथा धनसुख का हिस्सा अपीलान्ट का प्राप्त हुआ था। उक्त भूमि प्राप्त होने से नटटी बाई के हिस्से की भूमि में भी अपीलान्ट 1/12 हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी है इसके बावजूद भी दावा वादी खारिज करने में त्रुटि की है। विवादित भूमि मे बाबत अधीनस्थ न्यायालय में कोई मुकदमा चला हो तो उक्त मुकदमें की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी इस कारण अपीलान्ट पर एस्टोपल का सिद्धान्त लागू नहीं होता है इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होना मानकर व उक्त वाद की पत्रावली तलब किये बिना सरसरी तोर पर वाद खारिज करने में विधिक भूल की है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर निर्णय व डिक्री जेर अपील दिनांक 1–8–2024 निरस्त फरमाया जावे। तथा अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दावा डिक्री फरमाया जाकर वादी अपीलान्ट का वाद विषयक एंव अपील विषयक आराजीयात वाके ग्राम काल्या खेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में वादी को 1/12 हिस्से का व प्रतिवादी नं0 2 ता 5 को 1/12, 1/12 तथा प्रतिवादी नं0 6–7 को 1/12 हिस्से का सहकृषक घोषित फरमाया जाकर तदनुसार भूमि खाते दर्ज किये जाने का निर्णय व डिक्री सादिर फरमायी जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपील के पैरा संख्या–3 में लिखित कृषि आराजी ग्राम तेलियाखेडी उप तहसील चेचट तहसील

न्यायालय राजस्व ... कोटा

रामगंजमण्डी में स्थित है जिसमें रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 प्रत्येक 1/4, 1/4 के हिस्से के खातेदार एवं पूर्व 30 वर्षों से निरन्तर निर्विघ्न रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है। अपीलांट के माता पिता जब जीवित थे तब आज से 60 वर्षों पूर्व अपीलांट बचपन में ही 5 साल का था तब से ही अपने पिता के छोटे भाई धनसुख जी पुत्र केसाजी जाति अहीर निवासी अलोद तहसील रामगंजमण्डी के कोई संतान नहीं होने से गोद चला गया था और दत्तक पिता धनसुख जी द्वारा उसे पंचो के समक्ष गोद में बिठाकर गोद लेना स्वीकार कर नारियल प्रसाद बंटवाई गई तथा गोद की समस्त सामाजिक व धार्मिक रस्में अपनाते हुए गोद की कार्यवाही पूरी की। अपीलांट बचपन से ही गोद लेने वाले माता पिता के पास ही रहकर उनकी सेवा व देखभाल करता चला आ रहा है। उसका अपने वास्तविक माता पिता से 5 वर्ष की बाल्यकाल की उम्र से ही कोई लेना–देना नही रहा है तथा गोद लेने वाले पिता की सम्पत्ति पर काबिज काश्त करता आ रहा है तथा उसे अपने पूर्व माता पिता के सम्पत्ति पर किसी प्रकार का कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 को उक्त वर्णित सम्पत्ति के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश से वैधानिक रीति से इन्तकाल तस्दीक होकर रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के खाते दर्ज हुई आराजी है जिसे एस्टोपल के सिद्धान्त के कारण अपीलांट द्वारा चैलेंज किये जाने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होता। वर्तमान में भूमियों की कीमत अत्यधिक बढ़ जाने से अपीलांट के मन में बदनियति आ गई है जो कि अपने गोद पिता की सम्पत्ति लिये जाने के पश्चात भी अपने वास्तविक पिता की मृत्यु के उपरान्त उक्त लिखित भूमि में से दुर्भावनापूर्वक हिस्सेदारी व खातेदारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि उक्त कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 की माता नटी बाई की विरासतन सम्पत्ति है। उक्त कृषि आराजी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 की भी पैतृक कृषि आराजी नही है उक्त भूमि विरासतन उनकी माता को मिली हुई कृषि आराजी है जिसका माता की मृत्यु के उपरान्त रेस्पोडेन्ट क्रम–1 व 2 के खाते दर्ज हुई। अपीलांट अपनी पैतृक भूमि जो कि उसके गोद पिता धनसुख जी के हिस्से दर्ज भूमि को विरासतन प्राप्त किया जाकर उस पर नामान्तरण दर्ज करवाया जा चुका है। जिससे अब अपीलांट अपने वास्तविक माता पिता की सम्पत्ति में से किसी प्रकार का कोई हक हिस्सेदारी का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होने से अपील निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में

अपील संख्या 2024/204
दौलतराम बनाम देवीलाल

वादी अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम तेल्याखेड़ी तहसील रामगंजमण्डी की खसरा संख्या 13, 15, 39, 396, 399, 401, 403 कुल किता 7 कुल रकबा 7.99 हैक्टेयर भूमि में स्वयं का 1/12 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादी अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत कुल किता 7 कुल रकबा 7.99 हैक्टेयर भूमि वादी अपीलांट की पुश्तैनी भूमि है तथा वादपत्र में अंकित सजरा परिवार के अनुसार वादी अपीलांट प्रश्नगत भूमि में 1/12 हिस्से की घोषणा करवाने का अधिकारी है।वादी अपीलांट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उसकी माता नटी बाई के खाते की भूमि है जो नटी बाई को उसके माता पिता द्वारा विरासत से प्राप्त हुई है। परन्तु वादी अपीलांट ने पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेज/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिसमें प्रश्नगत भूमि उसकी माता के नाम दर्ज होने का अंकन हो। अपीलांट द्वारा प्रश्नगत भूमि को स्वयं की पुश्तैनी भूमि होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। हमारे मत में केवल मौखिक कथनों के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अपीलांट वादी की पुश्तैनी भूमि होना स्वीकार नहीं किया जा सकता। वादी अपीलांट वादपत्र एवं अपील में अंकित कथनों को प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः हमारे मत में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 में वादी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा के प्रकरण संख्या 21/2018 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 यथावत रखी जाती है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

11. निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/3/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2024/204

दौलत राम आत्मज स्व० रामचन्द्र जी जाति अहीर निवासी अलोद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
– अपीलांट

बनाम

1. देवीलाल आत्मज स्व० रामचन्द्र जी जाति अहीर
   1/1 मोहनी बाई पत्नि देवीलाल जाति अहीर निवासी अलोद तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
2. राधेश्याम आत्मज रामचन्द्र जी जाति अहीर निवासी अलोद तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
3. हरिराम आत्मज कारू जी जाति अहीर निवासी–अरलाई तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
4. कारू जी आत्मज उदा जी जाति अहीर (मृतक) जरिये कायम मुकाम
   4/1 हरिराम आत्मज आत्मज स्व. कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम अरलाई तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
   4/2 ललिता बाई पुत्री स्व. कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
   4/3 कौशल्या पुत्री स्व. कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम फावा तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
   4/4 सन्तराज पुत्री स्व० कारू जी जाति अहीर निवासी ग्राम दौलाई तहसील रावतभाटा जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
5. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व० रामचन्द्र जी पत्नि प्रभुलाल जी जाति अहीर निवासी–बोरीना तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
6. श्रीमती धापू पुत्री स्व० रामचन्द्र जी पत्नि दौलतराम जी जाति अहीर निवासी ग्राम रीछी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
7. राम किशन आत्मज देवलाल जी जाति अहीर निवासी–तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

वादपत्र संख्या: 21/2018

दौलत राम आत्मज स्व० रामचन्द्र जी जाति अहीर निवासी अलोद, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)

– वादी

बनाम

देवीलाल आत्मज स्व० रामचन्द्र जी जाति अहीर
1/1 मोहनी बाई पत्नि देवीलाल जाति अहीर निवासी अलोद तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
2. राधेश्याम आत्मज रामचन्द्र जी जाति अहीर निवासी अलोद तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
3. हरिराम आत्मज कारू जी जाति अहीर निवासी–अरलाई तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
4. कारू जी आत्मज उदा जी जाति अहीर निवासी अरलाई तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
5. श्रीमती शान्ति पुत्री स्व० रामचन्द्र जी पत्नि प्रभुलाल जी जाति अहीर निवासी–बोरीना तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
6. श्रीमती धापू पुत्री स्व० रामचन्द्र जी पत्नि दौलतराम जी जाति अहीर निवासी ग्राम रीछी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
7. राम किशन आत्मज देवलाल जी जाति अहीर निवासी–तेल्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा (राज०)
8. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब रामगंजमण्डी जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 21/2018 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 28.03.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री जितेन्द्र नामा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1 से 3, 5 व 6 की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री प्रद्युम्न शर्मा के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01.08.2024 यथावत रखी जाती है।

3. **इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे** पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. **यह डिक्री आज तारीख 28.03.2025** को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा